

12-12-15

पत्रावली पेश हुयी। वादीका उपस्थित। प्रतिवादीका  
 उपस्थित। प्रतिवादीका के द्वारा इककाली जवान  
 दाका पेश किया। वादी वकील ने PWA कानून  
 का शपथ पत्र पेश किया। कदम सुनी गई।  
 पत्रावली एवं उक्त उपलब्ध दस्तावेजों का  
 निवेदन किया गया। पढ़ाई। तबत जमानती समय  
 2011-2014 वाले जमाने चोरन तहसील उन्निपार  
 में वादग्रस्त भारती समय 124। रकम 0-17 ₹  
 वादीका को खाने डारी में दर्ज है। प्रतिवादीका ने  
 इककाली जवान दाका पेश किया। उन्ने वाद वादी  
 डिडि किसे जाने में कोई आपत्ति नहीं है। किंतु  
 शिक्की लोक न्यायालय की भावना के मध्य तजर वाद  
 वादीका आपसी सहमति से डिडि किया जाता है।  
 प्रतिवादीका को दंडमा-2 के लिये जरिये [कार्य]  
 निये धारण से पावक किया जाता है। कि के वादीका ने

वादी

26/2



8/11/15

श्वातेदारी व कब्जे कायदा की आराजी  
 शक १२५१ शकबा ०-१७ ई० वाके  
 जाम चोरत तहसील उतिफरत के  
 किली प्रकर की मजामत व मदारवला  
 नही करे। न तो स्वभ ही करे और  
 ना ही समय से करावे। पचा छेके  
 जारी हो। फरिक्तेन रकम अपना - २ वदन  
 करे। पचावली के लालमुल्ल होकर नाक  
 से कप हो तथा इफतर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 उतियात जिला होक

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

उनवान

कमला पुत्री श्यामलाल जाति कंजर निवासी विनोबा बस्ती सवाईमधोपुर राज0

- वादी

बनाम

1.सुरेश नायक पुत्र हरनाथ जाति नायक निवासी चोरु तहसील उनियारा जिला टोंक

2.बाबू पुत्र हरजी जाति नायक निवासी चोरु तहसील उनियारा जिला टोंक


-प्रतिवादीगण

**दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :- 178 वर्ष 2015

वादी की ओर से श्री बी0एल0जैन प्रतिवादीगण की और प्रतिवादी सुरेश व बाबू की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.12.2015 को श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण को हमेशा -2 के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 1241 रकबा 0.17 है0, वाके ग्राम चोरु तहसील उनियारा जिला टोंक में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। फरिक्तेन खर्च अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 12 सन् 2015 को जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उनियारा जिला टोंक  
उप खण्ड अधिकारी  
उनियारा जिला टोंक